

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्बाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री बी. एम. शर्मा,
आयएएस, कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 12 से 19 अप्रैल 2010
तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस
अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक
अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री जे. एस.
धुर्वें, राप्रसे., अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के
साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला
धार का चालू प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर
पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार
ग्रहण करने पर श्री जे. एस. धुर्वें, कलेक्टर, जिला धार के चालू प्रभार
से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-42-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस., संचालक, अदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री प्रशांत मेहता की अवकाश की अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, अदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का चालू कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, अदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रशांत मेहता द्वारा संचालक, अदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, संचालक, अदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. ई-1-134-2010-5-एक.—(1) श्रीमती सुधा चौधरी, भाप्रसे (1991), तत्कालीन सचिव, राज्य वेतन आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सेवाएं दिनांक 1 अप्रैल 2010 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर नियुक्ति के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाती हैं। श्रीमती चौधरी सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् संपादित करती रहेंगी।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिशनर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-543-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय बंदोपाध्याय, आयएएस., आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 5 से 7 अप्रैल 2010 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय बंदोपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय बंदोपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय बंदोपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-133-2010-5-एक.—(1) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल की सेवायें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/353/2009/5/1, दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के खाना-9 में उल्लेखित अधिकारी श्री एस. के. पाल, भाप्रसे (1994), अपर आयुक्त (राजस्व); सागर संभाग को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर, उन्हें आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम के पद पर नियुक्ति के लिये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपी जाती है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. पाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिमेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित संभागीय कमिशनर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 5 से 24 अप्रैल 2010 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अप्रैल 2010 तथा 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश की अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 19 से 23 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री. राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट को दिनांक 1 से 10 मई 2009 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहन्ती, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-782-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-416-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के पत्र दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 3, 5, 6, 7 एवं 8 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 से 30 अप्रैल 2010 तक, तीनोंस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-866-आयएएस-लीब-एक-5.—श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आयएएस., (यू. पी.-1997), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को दिनांक 17 मई से 18 जून 2010 तक, तीनीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कामिनी चौहान रतन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-267-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती आई.एम. चहल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 10 से 19 फरवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है:—

(1) दिनांक 14 से 17 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश।

(2) दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2010 तक, बीस दिन का लघुकृत अवकाश।

(3) दिनांक 10 से 11 फरवरी 2010 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश।

(4) दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई.एम. चहल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती आई.एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई.एम. चहल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षी. एस. सावनेर, अवर सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 5-35-2009-दो-उन्नीस.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती आभा मिश्रा पल्ली श्री जय प्रकाश मिश्रा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्वालियर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है।

(2) जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

No.. F. 5-35-09-2-XXIX.—In exercise of the power conferred by sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoint Smt. Abha Mishra W/o Shri Jai Prakash Mishra as the member in the District Consumer Disputes Redressal Forum, Gwalior with effect from the date she takes over the charge of the office.

(2) The member of the District Consumer Forum should positively attend office on every working day from 10.30 A.M. to 4.00 P. M. and is instructed that if she remains absent continuously for three consecutive sittings of the Forum, except for a resonable cause, then action will be taken to remove her from the membership of the District Consumer Forum. The member of the District Consumer Forum have to participate in the training provided by the State/Central Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. जैन, अपर सचिव।

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-05-10-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, छतरपुर एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 685 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
1	24° 03' 00"	79° 08' 00"
2	24° 03' 25"	79° 10' 40"
3	24° 00' 53"	79° 13' 24"
4	24° 02' 40"	79° 16' 23"
5	24° 03' 36"	79° 15' 25"
6	24° 15' 17"	79° 35' 20"
7	24° 17' 45"	79° 33' 20"
8	24° 19' 48"	79° 36' 38"
9	24° 17' 07"	79° 38' 55"
10	24° 21' 00"	79° 45' 42"
11	24° 24' 47"	79° 43' 07"
12	24° 25' 32"	79° 44' 23"
13	24° 23' 52"	79° 45' 37"
14	24° 26' 25"	79° 49' 51"
15	24° 24' 36"	79° 51' 37"
16	24° 25' 51"	79° 53' 49"
17	24° 24' 01"	79° 56' 16"
18	24° 26' 52"	80° 03' 00"
19	24° 26' 00"	80° 03' 00"
20	24° 18' 00"	79° 48' 00"
21	24° 20' 00"	79° 48' 00"
22	24° 07' 00"	79° 25' 00"
23	24° 05' 00"	79° 25' 00"
24	23° 57' 00"	79° 08' 00"

इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, “खनिज भवन”, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-05-10-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 5th April 2010

No. F-2-05-10-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 685 Km² out of 1370 Km² in Sagar, Damoh, Chattarpur & Panna districts which was previously held by M/s. Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth & Cadmium minerals, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	24° 03' 00"	79° 08' 00"
2	24° 03' 25"	79° 10' 40"
3	24° 00' 53"	79° 13' 24"
4	24° 02' 40"	79° 16' 23"
5	24° 03' 36"	79° 15' 25"
6	24° 15' 17"	79° 35' 20"
7	24° 17' 45"	79° 33' 20"
8	24° 19' 48"	79° 36' 38"
9	24° 17' 07"	79° 38' 55"
10	24° 21' 00"	79° 45' 42"
11	24° 24' 47"	79° 43' 07"

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12	24° 25' 32"	79° 44' 23"	6	21° 26' 46.95"	78° 04' 14.16"
13	24° 23' 52"	79° 45' 37"	7	21° 24' 42.89"	77° 58' 32.43"
14	24° 26' 25"	79° 49' 51"	8	21° 24' 00.26"	77° 58' 53.94"
15	24° 24' 36"	79° 51' 37"			4 से 5 एवं 8 से 1 राज्य सीमा
16	24° 25' 51"	79° 53' 49"			
17	24° 24' 01"	79° 56' 16"			
18	24° 26' 52"	80° 03' 00"			
19	24° 26' 00"	80° 03' 00"			
20	24° 18' 00"	79° 48' 00"			
21	24° 20' 00"	79° 48' 00"			
22	24° 07' 00"	79° 25' 00"			
23	24° 05' 00"	79° 25' 00"			
24	23° 57' 00"	79° 08' 00"			

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-47-07-बारह-1.—मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला बैतूल में सोना, पीजीई, निकल, क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 135 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 125 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
1	21° 22' 41.85"	77° 54' 48.60"
2	21° 25' 28.03"	77° 53' 33.48"
3	21° 30' 34.45"	78° 05' 05.70"
4	21° 27' 37.38"	78° 06' 37.34"
5	21° 26' 21.55"	78° 04' 25.51"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-47-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 5th April 2010

No. F-2-47-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 125 Km² out of 135 Km² in Betul district which was previously held by M/s. Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Gold, PGE, Nickel, Chromium, Copper, Lead, Zinc, Silver, Iron & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	21° 22' 41.85"	77° 54' 48.60"
2	21° 25' 28.03"	77° 53' 33.48"
3	21° 30' 34.45"	78° 05' 05.70"
4	21° 27' 37.38"	78° 06' 37.34"

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5	21° 26' 21.55"	78° 04' 25.51"			खण्ड-2
6	21° 26' 46.95"	78° 04' 14.16"	8	24° 15' 57"	78° 54' 41"
7	21° 24' 42.89"	77° 58' 32.43"	9	24° 19' 37"	78° 56' 53"
8	21° 24' 00.26"	77° 58' 53.94"	10	24° 17' 26"	78° 59' 19"
4 to 5 & 8 to 1 State Boundary			8 से 9 राज्य सीमा		

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-06-2010-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मिथ एवं केडमियम खनिजों के अवैक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 650 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परिस्त्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु	अक्षांश	देक्षांश
(1)	(2)	(3)
खण्ड-1		
1	24° 17' 59"	78° 26' 36"
2	24° 12' 35"	78° 46' 41"
3	24° 11' 59"	78° 44' 26"
4	24° 09' 06"	78° 45' 37"
5	24° 07' 53"	78° 49' 59"
6	24° 04' 01"	78° 47' 48"
7	24° 13' 28"	78° 36' 58"
1 से 2 राज्य सीमा		

खण्ड-3		
11	24° 01' 59"	78° 50' 05"
12	24° 03' 11"	78° 54' 33"
13	24° 08' 59"	78° 54' 55"
14	24° 12' 15"	79° 04' 02"
15	24° 10' 05"	79° 06' 32"
16	24° 08' 39"	79° 01' 15"
17	24° 05' 49"	78° 59' 34"
18	24° 01' 33"	78° 59' 59"
19	24° 00' 15"	78° 52' 06"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेठा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. एफ-2-06-2010-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 13th April 2010 *

No. F-2-06-2010-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 650 Km² out of 1300 Km² in Sagar & Chattarpur

districts which was previously held by M/s. Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth & Cadmium minerals, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
------------	-----------------	------------------

Block-1

1	24° 17' 59"	78° 26' 36"
2	24° 12' 35"	78° 46' 41"
3	24° 11' 59"	78° 44' 26"
4	24° 09' 06"	78° 45' 37"
5	24° 07' 53"	78° 49' 59"
6	24° 04' 01"	78° 47' 48"
7	24° 13' 28"	78° 36' 58"

1 to 2 State Boundary

Block-2

8	24° 15' 57"	78° 54' 41"
9	24° 19' 37"	78° 56' 53"
10	24° 17' 26"	78° 59' 19"

8 to 9 State Boundary

Block-3

11	24° 01' 59"	78° 50' 05"
12	24° 03' 11"	78° 54' 33"
13	24° 08' 59"	78° 54' 55"
14	24° 12' 15"	79° 04' 02"
15	24° 10' 05"	79° 06' 32"
16	24° 08' 39"	79° 01' 15"
17	24° 05' 49"	78° 59' 34"
18	24° 01' 33"	78° 59' 59"
19	24° 00' 15"	78° 52' 06"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010-बारह.—मेसर्स प्रिमियर निकल मार्इन्स प्रा.लि. द्वारा जिला सीधी में हीरा, सोना, तांबा, लेड, जिंक, पीजीई, सिल्वर, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवैश्वी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्भृत टोही कार्यों हेतु धारित 1132 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 972 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"
2	24° 09' 16.88"	82° 11' 50.53"
3	23° 53' 59.37"	82° 11' 42.04"
4	23° 54' 12.08"	81° 48' 00.92"
5	24° 00' 29.28"	81° 48' 06.39"
6	24° 00' 27.15"	81° 53' 59.28"
7	24° 01' 56.44"	81° 54' 00.29"
8	24° 01' 55.14"	81° 57' 59.98"
9	24° 07' 59.99"	81° 57' 59.99"
10	24° 07' 59.99"	81° 53' 59.99"
11	24° 05' 02.62"	81° 53' 59.67"
12	24° 05' 04.74"	81° 48' 10.40"
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010-बारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 16 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

No. 2158-2010-XII.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 972 Km² out of 1132 Km² in Sidhi district which was previously held by M/s. Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond, Gold, Copper, Lead, Zinc, PGE, Silver, Tungsten, Chromium, Nickel, Iron & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"
2	24° 09' 16.88"	82° 11' 50.53"
3	23° 53' 59.37"	82° 11' 42.04"
4	23° 54' 12.08"	81° 48' 00.92"
5	24° 00' 29.28"	81° 48' 06.39"
6	24° 00' 27.15"	81° 53' 59.28"
7	24° 01' 56.44"	81° 54' 00.29"
8	24° 01' 55.14"	81° 57' 59.98"
9	24° 07' 59.99"	81° 57' 59.99"
10	24° 07' 59.99"	81° 53' 59.99"
11	24° 05' 02.62"	81° 53' 59.67"
12	24° 05' 04.74"	81° 48' 10.40"
1	24° 09' 26.17"	81° 48' 14.21"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-1-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की

उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा धारा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-धार (म. प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् धार.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-1-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-1-बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th March 2010

NOTICE

No. F-3-1-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dhar (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Dhar, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Indore, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Dhar.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-35-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-ग्वालियर (म. प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, डबरा.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-35-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-35-बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2010

NOTICE

No. F-3-35-2009-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh

Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dabra (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Gwalior, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Gwalior, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Dabra.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-66-2008-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) कलेक्टर, जिला-श्योपुर (म.प्र.).
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, श्योपुर.
- (3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, श्योपुर.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-66-2008-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड “ख” के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-66-बत्तीस-08, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

Bhopal, the 16th April 2010

NOTICE

No. F-3-66-2008-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Sheopur (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Collector, District-Sheopur, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, District Office, Sheopur, Madhya Pradesh.
- (3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Sheopur.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)12-2005-ब-2-दो.—(1) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानीरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 अप्रैल से 7 मई 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18 अप्रैल एवं 8, 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा

के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “रोहतांग (हिमाचल प्रदेश)” जाने की अनुमति दी जाती है :—

1.	श्री योगेश मुदगल, भापुसे	—	स्वयं
2.	श्रीमती एस. मुदगल	—	पत्नी
3.	श्री सी. एल. मुदगल	—	पिता
4.	अरस्तु	—	पुत्र
5.	जन्मेयज	—	पुत्र

(3) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी, रापुसे, सहायक पुलिस महानीरीक्षक (कार्मिक) पुमु., भोपाल को उप पुलिस महानीरीक्षक (प्रशासन) का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा।

(5) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानीरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल माहेश्वरी रापुसे., उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानीरीक्षक (प्रशासन) पुमु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(7) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)186-91-ब-2-दो.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानीरीक्षक, राआसअब ब्लूरो को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4-2007-स्था. (ए), दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी.) पर जा सकता है। यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी।

(3) अतः पैरा-2 के प्रावधान अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर “शिलांक” (पूर्वोत्तर राज्य) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | | |
|----|------------------------------|--------|
| 1. | श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे | स्वयं |
| 2. | श्रीमती मोनिका | पत्नी |
| 3. | कुमारी ऐश्वर्या शर्मा | पुत्री |
| 4. | आदित्य शर्मा | पुत्र |

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1(ए)188-91-ब-2-दो.—(1) श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 3 से 14 मई 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2, 15, एवं 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4-2007-स्था. (ए), दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी.) पर जा सकता है। यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी।

(3) अतः पैरा-2 के प्रावधान अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर “शिलांक” (पूर्वोत्तर राज्य) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है :—

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे | स्वयं |
| 2. | श्रीमती मधुमिता नकवी | पत्नी |
| 3. | कुमारी ऐश्वर्या नकवी | पुत्री |
| 4. | मा. रोशन नकवी | पुत्र |

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) अवकाशकाल में श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव।

गृह (सामान्य)विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-111-2009-दो-ए(3)-शुद्धि-पंत्र.—राज्य शासन द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2010 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) अंकित है, को एतद्वारा संशोधित किया जाता है। अतः प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) के स्थान पर संशोधन उपरान्त लेखा-प्रथम (पुस्तकों सहित) पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-90-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-89-2009-बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम भगीरथपुरा	53/2, 54 55/2 एवं 57/2	0.648 हेक्टेयर	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक शर्त-सरस्वती नदी के एच.एफ. एल. से 30 मीटर तक हरित क्षेत्र विकसित किया जाये एवं आवश्यकता आने पर रिवर सार्वइंड कारीडोर हेतु भूमि छोड़नी होगी।
योग . . .					<u>0.648 हेक्टेयर</u>

(2) उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. स्वा.पी.एम.ए.-10-4930.—सिवनी जिले में संक्रामक रोग हैजा फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसार्भिक बीमारी के फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें।

अस्तु, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी मध्यप्रदेश आपत्तिजनक, हैजा, ज्वर, आंत्रशोध, विनियम 1983 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह आदेश देता हूं कि :—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण

कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियों, मॉस-मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिष्ठि रहेगी।
 2. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक्कर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढक्कर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें।
- (ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (क्रमांक-1) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को नहीं लायेगा, न ही ले जायेगा।
- (ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के बिक्रय या निर्मल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ाताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु का मानव उपयोग से अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की हुई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकर दूषित व अनुपयुक्त, वस्तुओं के अधिग्रहण कराने, हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निर्वतन करने के लिये जिसे वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—
1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
 2. चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे का न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय।
 3. ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की ब्रेणी से नीचे की नहीं हो।
 4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
 5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक।

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों-नालियों, गटरों, पानी के गड्ढे, पोखर, मलकुंडों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उनके संबंध में समुचित रोगाणुनाषक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी चार माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेंगे।

क्र. 4951-व.लि.-2010.—मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा-आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम 3 के अंतर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से आगामी 4 माह की कालावधि तक अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ:

मनोहर दुबे, कलेक्टर।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. क-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	गूगराखुर्द, प.ह.नं. 42	15 1.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	सोना नाला जलाशय योजना के द्वाब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) सोना नाला जलाशय योजना के द्वाब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क-3034-भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	जालमपुर प.ह.नं. 45	12 1.99	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र.-2, सागर	सोना नाला जलाशय योजना के द्वाब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम जालमपुर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—(1) सोना नाला जलाशय योजना के द्वाब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग ग्राम जालमपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010**

प्र. क्र. 6-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
			लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	भिंयाखेड़ी	19 15/1 15/2 13/4 13/5 13/6 13/7 13/44 12/1 12/2 योग . .	0.125 0.160 0.111 0.087 0.100 0.090 0.080 0.080 0.230 0.146 <u>1.209</u>	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र.-2, विदिशा।	सम्प्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ी की लघु नहर क्र.-2 के निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
			लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
विदिशा	विदिशा	लोधाखेड़ी	240/1क 240/254 241 योग . .	0.290 0.034 0.161 <u>0.485</u>	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र.-2, विदिशा।	सम्प्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ी की लघु नहर क्र.-2 (आरएम-2) के निर्माण हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 4-अ-82-09-10-क्र.-347-भू-अर्जन-10—संशोधन.—तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम ससाबरड़ की अर्जनीय आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संचनाओं के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) की अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 331 पर दिनांक 5-3-10 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

(1)

संशोधित प्रकाशन

(2)

अनुसूची-भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में

अनुसूची-भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में

महायोग :—2.226 हेक्टर

महायोग :—2.626 हेक्टर

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

खरगोन, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 377-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	कसरावद	पागाखेड़ी	1.767	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -24, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।	

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण करोकर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 378-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
खरगोन	कसरावद	बामन्दा	5.461	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।	

नोट :—भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 376-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
खरगोन	कसरावद	चिचलाय	23.511	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।	

नोट :—भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 381-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	नाथ्यापुरा	7.214	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 379-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	एकलधारिया	1.327	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 380-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	काटकूर	5.329	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 382-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मैजमपुर	0.687	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 384-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	भीलगांव	8.462	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 383-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 38-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पाटयापुरा	4.242	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 385-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 39-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बारदेवला	7.013	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 346-भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	दसौँडा	1.246	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर।	बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु।

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.-14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दिनकरपुरा (अ) आबादी	646.56 वर्गमीटर (कुल मकान —011)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा।	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण।
		(ब) शासकीय	635.24 वर्गमीटर (कुल मकान —10).		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरियां (लगानी)	471.95 वर्गमीटर कुल मकान —06).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा।	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-21-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	धारकवाड़ी	468.70	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्बास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण,
		(अ) शासकीय	वर्गमीटर (कुल मकान —05).		
		(ब) (लगानी)	1228.473 वर्गमीटर (कुल मकान —11).		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 15 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.-15-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भुरलाय	305.37	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्बास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण,
		(अ) आबादी	वर्गमीटर (कुल मकान —04).		
		(ब) शासकीय	815.86 वर्गमीटर (कुल मकान —09).		
		(स) लगानी	1278.95 वर्गमीटर (कुल मकान —08).		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-16-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखाल (आबादी)	284.194 वर्गमीटर (कुल मकान —02).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा।	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-17-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	डाबरी (लगानी भूमि)	872.75 वर्गमीटर (कुल मकान —10).	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा।	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलकुंआ (अ) आबादी (कुल मकान—010)	798.44 वर्गमीटर (कुल मकान—11)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
		(ब) शासकीय (स) लगानी	1378.525 वर्गमीटर (कुल मकान—11) 1895.76 वर्गमीटर (कुल मकान —14)		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र.क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भगवानपुरा (अ) आबादी (कुल मकान—03)	305.12 वर्गमीटर (कुल मकान—19)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
		(ब) शासकीय (स) लगानी	1465.06 वर्गमीटर (कुल मकान—19) 969.31 वर्गमीटर (कुल मकान —18)		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र.क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने हैं अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खण्डवा	पुनासा	देवला	194.67	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्बास
		(अ) आबादी	वर्गमीटर	एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत्	एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन
			(कुल मकान—03)	परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा,	भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि
		(ब) शासकीय	606.62		परियोजना के लिये अधिग्रहित
			वर्गमीटर		की गयी है, उनके रहवासी
			(कुल मकान—05)		मकानों का उनकी मांग पर
		(स) लगानी	1077.25		अधिग्रहण.
			वर्गमीटर		
			(कुल मकान —12)		

(2) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खण्डवा	पुनासा	दोगालिया	2473.82	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्बास
		(अ) आबादी	वर्गमीटर	एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत्	एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन
			(कुल मकान—12)	परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा,	भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि
		(ब) शासकीय	1389.65		परियोजना के लिये अधिग्रहित
			वर्गमीटर		की गयी है, उनके रहवासी
			(कुल मकान—08)		मकानों का उनकी मांग पर
		(स) लगानी	406.16		अधिग्रहण.
			वर्गमीटर		
			(कुल मकान —12)		

(2) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	श्रमिक/कृषि मजदूर ग्राम-दोंगालिया (अ) आबादी भूमि में निर्मित मकान.	13554.98 वर्गमीटर (कुल मकान —62)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
		(ब) शासकीय भूमि में निर्मित मकान.	2189.06 वर्गमीटर (कुल मकान —04)		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सातमोहनी (आबादी)	181.74 वर्गमीटर (कुल मकान —02)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.	म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पंथाना	नानखेड़ा	कृषि भूमि रकबा 0.26 हैक्टर.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, इन्दौर.	घाटाखेड़ी धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (2) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग इन्दौर, (3) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन पंथाना में देखा जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र.-30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बीड़	0.53	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखेड़ा	1.31	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिवरियॉ	8.15	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-33-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोडियाखेड़ा	3.14	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भिलाई	4.97	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.	श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2×800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 625-भू-अर्जन-2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। चूंकि भूमि पर पूर्व में ही मार्ग का निर्माण किया जा चुका है, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(1) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	देवास	2037 वर्गमीटर	भू-अर्जन अधिकारी, देवास	देवास फोरलेन मार्ग निर्माण। सीनियर

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी देवास में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिव सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 1610-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 25-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	1. मकनपुरा 2. ईगलीपाड़ा	16.98 0.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम	मकनपुरा तालाब परियोजना के अन्तर्गत ढूब में आने वाली निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 22-अ-82-2009-10-क्रमांक-603-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बालकुंआ	25.500	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 23-अ-82-2009-10-क्रमांक-604-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	नैनपुरा	4.367	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 24-अ-82-2009-10-क्रमांक-605-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सिरसानी	4.463	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी।	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 25-अ-82-2009-10-क्रमांक-606-भू-अर्जन-नहर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	काजलमाता	0.750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी।	इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट :— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला-बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 19 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 06-अ-82 वर्ष-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुसमी	50.17	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कुसमी जलाशय बांध ढूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कुसमी जलाशय बांध ढूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 21 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) द्वारा दी गई शक्तियों का

प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	बरेली	कमका	4/3/2	16.50	2.66	कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी न्यूकमका माईनर क्रमांक 1,2 हेतु भू-अर्जन.	
			41	1.65	0.34		
			45/1	2.61	0.47		
			60	8.80	0.18		
			62/1	7.63	0.52		
			62/2	15.00	0.52		
			62/3	15.00	0.52		
			62/4	15.00	0.52		
			40/1	1.23	0.24		
			70	9.98	0.43		
			69/3/1	8.57	0.20		
			71	5.17	0.20		
			72	8.27	0.23		
			93/1/1	4.00	0.24		
			93/1/3	3.56	0.25		
			98/1/2/1	2.00	0.06		
			93/2/2	6.00	0.05		
			98/1/2/2	8.00	0.10		
			98/2/1	4.23	0.15		
			100/2	0.55	0.05		
			62/1	7.63	0.05		
			69/3/1	8.97	0.33		
			93/3/2/2	0.23	0.05		
			69/3/2	8.97	0.33		
			69/2/1	8.97	0.24		
			69/2/2/1	1.50	0.10		
			69/2/2/2	7.47	0.24		
			99/1/1	2.80	0.25		
			105	4.89	0.30		
			111/1	5.00	0.36		
			99/2/1	3.50	0.16		
			99/1/2	4.74	0.25		
			99/2/2	3.50	0.15		
			97/1	3.00	0.15		
			97/2/2	6.35	0.30		
			116/1/1	9.32	0.30		
			60	8.80	0.12		
			33	3.73	0.39		
			20	6.32	0.90		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			30/1/1	4.00	0.55		
			30/1/2	1.70	0.14		
			30/2/1	3.50	0.51		
			30/2/2/1	1.66	0.28		
			27	3.84	0.29		
			30/2/2	2.00	0.28		
			74/1/1	4.77	0.26		
			75/3	4.38	0.24		
			76	0.43	0.21		
			80/2	5.00	0.92		
			80/3	5.00	0.92		
			85/2/2/2/3	3.50	0.27		
			कुल योग :		17.77		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. भू-अर्जन-06-(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का वर्ग	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	ग्वारा प.ह.नं. 13/7	भूमि का वर्ग लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 6.74	सेनानी 35 वर्ग (भा.र.) वाहिनी वि.स.बल मण्डला.	सुरक्षात्मक कारणों से

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खेर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ 570-भू-अर्जन-09-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—छांहन
- (घ) क्षेत्रफल—07.833 हेक्टेयर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
140/1	5.000
141/1	2.024
144/2	0.809
निजी खाता भूमि योग किता	
03 में से योग रकबा	<u>07.833</u> हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—अमझर तालाब योजना.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिहोरा, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—सिहोरा
- (ग) ग्राम—भाटादौन
- (घ) प. ह. नं.—75 ब. नं. 581
- (ड) लंगभग क्षेत्रफल—0.75 (हेक्टेयर में)

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.06
3	0.69
योग . .	<u>0.75</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिहोरा-मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—सिहोरा
- (ग) ग्राम—खितौला

(घ) प. ह. नं.—02/73 ब. नं.	(1)	(2)
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.801 हे.	10/3	0.405
खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	14	0.182
(1) (2)	18	1.064
	20/4	2.800
307/6 0.065	21/3	0.809
308/2 0.536	58/3	0.607
308/3 0.100	59/4	2.023
308/4 0.100	67/4	0.607
योग . . 0.801	6/2	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सिहोरा—मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर पुल निर्माण।	9/3	0.405
	11	0.267
	15	0.138
(3) भूमि के नवशो (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।	19	1.145
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	20/5	0.405

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	13	0.162
(क) जिला—उमरिया	17	1.023
(ख) तहसील—मानपुर	20/3	0.809
(ग) ग्राम—गोहड़ी—	20/7	0.405
(घ) क्षेत्रफल—अशासकीय रकबा—31.281 हे.	21/6	0.405
एवं शासकीय रकबा—223.433 हे.	59/3	0.454
	67/3	2.954

खसरा नं.	क्षेत्रफल	योग . .	31.281 हे.
	(हे. में)		

(1) (2) शासकीय सर्वे क्रमांक

अशासकीय सर्वे क्रमांक

5/3	1.738	5/1	11.663
8/3	0.809	8/1	23.205

10/2 0.526

(1)	(2)	(ग) लगभग क्षेत्रफल ग्राम—कुड़ी—13.342 है। बेलदी—10.947 है,, महरोई—4.083 है। सलैया—7.628 है।
		खसरा नं. रकबा (हे. में)
		(1) (2)
58/1	7.102	
62/1	15.637	
67/2	8.190	
5/2	6.835	
9/1	4.653	
20/1	2.654	कुड़ी—शास. भूमि
58/2	6.175	121 0.602
62/2	7.507	394/1ख 0.324
6/1	32.817	192 1.589
9/2	4.888	416 4.000
21/1	21.186	193 0.725
59/1	9.138	
63/2	1.140	योग . . 7.240 हे.
7/1	18.786	
10/1	10.067	
21/2	1.011	119/1ख 0.405
59/2	6.596	119/5 0.283
67/1	23.657	157/3 0.202
		158/3 0.040
	योग . . 223.433 हे.	161/1 0.089
		162/2 0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ सीमा अन्तर्गत प्रभावित भूमि एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा निर्धारण।

(3) भूमि के नक्शे (प्लाट) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला उमरिया एवं क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2010-02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—उमरिया
 - (ख) तहसील—मानपुर
- | | |
|-------|-------|
| 119/4 | 0.405 |
| 157 | 0.568 |
| 158/2 | 0.032 |
| 159 | 0.142 |
| 162/1 | 0.057 |

(1)	(2)
163/2	0.305
166/1ख	0.028
179/1	0.162
191/421/1	0.607
195/1	0.028
402/2	0.040
योग . .	6.102 हे.

ग्राम बेल्दी—शास. भूमि

1	0.656
48	1.320
10	1.620
194	6.606
41	0.202
योग . .	10.404 हे.

ग्राम बेल्दी—अशास. भूमि

36/2	0.121
45/1	0.097
38	0.061
45/2	0.101
39/1	0.020
47	0.143
योग . .	0.543 हे.

ग्राम महरोई—शास. भूमि

1	2.496
2	0.162
4	0.810
योग . .	3.468 हे.

ग्राम महरोई—अशास. भूमि

3/1	0.040
3/4	0.113
3/5ग	0.028
3/7	0.069
3/2	0.040
3/5 क	0.024
3/5 घ	0.024

ग्राम सलैया—शास. भूमि

29	4.717
117	2.631
639	0.280
योग . .	7.628 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—भदार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लाट) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, उमरिया में किया जा सकता है।

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
- (ख) तहसील—नेपानगर
- (ग) ग्राम—दर्यापुर (नयाखेड़ा तालाब योजना)

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.54 हेक्टर.	(1)	(2)
खसरा क्षेत्रफल नम्बर (हेक्टर में)	5 6 7/1 7/2 10/1 12 13 16 17 61 65 67 68 69 71 72/1 72/2	0.05 0.74 1.05 0.18 0.70 1.62 0.83 0.12 2.10 0.6 3.20 0.56 1.79 2.44 1.30 0.67 2.02
172/1 0.64		
189 0.550		
188/2 0.140		
187/1 0.160		
187/2 0.08		
186/1 0.36		
186/2 0.32		
185/1 0.34		
185/2 0.14		
205/1 0.44		
204/1 0.13		
204/2 0.24		
योग . . . 3.54		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नयाखेड़ा तालाब योजना ग्राम दर्यापुर से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.	73 78 79 84 89/1 90/1 90/2 93/1	2.34 1.70 0.66 0.10 0.53 0.26 1.19 1.52
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	111/1 112/1 112/2 114 115 116 148 152 153	0.24 0.93 0.64 0.12 0.50 0.10 0.50 0.23 0.23
रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	154 155 156 158 158 160 162 169 171 173 174	0.14 0.17 0.23 0.01 0.004 0.03 0.95 0.57 0.70 0.81
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—बुरहानपुर	155	0.17
(ख) तहसील—नेपानगर	156	0.23
(ग) ग्राम—रहमानपुरा, नावरा घाघरला डालमहु	158	0.01
(घ) क्षेत्रफल लगभग—54.46 हेक्टर.	160	0.004
खसरा क्षेत्रफल नम्बर (हेक्टर में)	162 169 171 173 174	0.03 0.95 0.57 0.70 0.81
(1) (2)		
ग्राम—रहमानपुरा		
2/1 0.17		
3/1 0.44		
	योग . . . 35.98	

(1)	(2)	(ग) ग्राम—हैंदरपुर	(घ) क्षेत्रफल लगभग—47.22 हेक्टर.
ग्राम—नावरा		खसरा	क्षेत्रफल
		नम्बर	(हेक्टर में)
152	0.07	1	3.67
153	1.03	2	2.88
154	0.25	4	4.87
156	6.60	5	1.00
157	0.23	8/1	2.96
159	0.32	8/2	0.20
163	2.40	9	3.92
योग . .	10.90	10	2.88
ग्राम—घाघरला		12	1.59
230/1	0.71	13/1	0.98
234	0.43	13/2	1.00
230/2	0.30	14	3.58
230/3	1.50	18/1	1.65
231/1	1.83	18/2	0.80
231/2	0.06	19	1.70
231/3	2.00	20	4.84
योग . .	6.83	21	4.69
ग्राम—डालमहु		23	0.41
215	0.25	24/3	1.70
231	0.50	25/1	0.10
योग . .	0.75	25/2	0.10
महायोग . .	54.46	25/3	0.10
		25/4	0.13
		25/6	0.20
		25/5	0.05
		24/1	0.05
		24/2	0.07
		35/1	0.30
		53/1	0.25
		53/2	0.25
		53/3	0.15
		55/1	0.15
		योग . .	47.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रहमानपुरा तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—नेपानगर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हैंदरपुर तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 01-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
- (ख) तहसील—नीमच
- (ग) नगर/ग्राम—मुण्डला

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
685 पैकी	0.06
685 पैकी	0.06
687	0.06
686 पैकी	0.35
690 पैकी	0.10
692 पैकी	0.58
696	0.45
738	0.45
709	0.35
741 पैकी	0.03
690 पैकी	0.09
690 पैकी	0.09
686 पैकी	0.04
688	0.16
690 पैकी	0.06
694	0.02
695 पैकी	0.24
698	0.39
741	0.20
719/780	0.84

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत ढूब में आ रही ग्राम-मुण्डला की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 02-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
- (ख) तहसील—नीमच
- (ग) नगर/ग्राम—सेमलीमेवाड़

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
930	0.09
931	0.01
933	0.14
934	0.06
973 पैकी	0.22
1137 पैकी	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत ढूब में आ रही ग्राम-सेमलीमेवाड़ की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 03-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
- (ख) तहसील—नीमच
- (ग) नगर/ग्राम—विशन्या

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
451	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-विशन्या की छुट्टी हुई निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छत्तरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बिजावर, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क)	जिला—छत्तरपुर
(ख)	तहसील—बिजावर
(ग)	नगर/ग्राम—नयाताल
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—1.494 हेक्टेयर
	(1) निजी भूमि 1.494
	(2) शास. भूमि निरंक
	योग : 1.494

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
1186/2	0.120
1187/1	0.008
1187/2	0.305
1200	0.299
1240	0.480
1243	0.138
1244	0.080
1245	0.064
योग ..	1.494

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नयाताल तालाब के वेस्टवीयर के भराब हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 558-भू-अर्जन-ओ.एस.पी.-2009-10-भू-अर्जन-प्र. क्र.-48-अ-82-2008-09 संशोधन.—कार्यालय पत्र क्र. 2806-वाचक प्र. क्र. 48-अ-82-2008-09 धार, दिनांक 18 जून, 2009 ग्राम रणगांव, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 10.396 हैक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1606 पर दिनांक 26 जून, 2009 के अंक में तथा दो समाचार-पत्रों में क्रमशः स्वदेश दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है, जिनका जी नंबर 13650/09 है। जिसके स्थान पर निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

पूर्व में प्रकाशित		संशोधन प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)
—	—	19/1	0.250
20/4	1.200	20/4	0.300
20/6	—	20/6	—
20/5	—	20/5	0.300
23/1/2	0.550	23/1/1	0.550

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 569-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर		(1)	(2)
(ग) ग्राम—सोमल्दा		185/1/1ख	0.100
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.433 हेक्टर.		185/2	0.165
सर्वे नं.	अर्जित रकमा	169/4	0.130
निजी	(हेक्ट. में)	24/1	0.160
(1)	(2)	24/3	0.150
		26/2	0.050
		26/3	0.304
10/4	0.780	29/1/1/1	0.068
10/2/1	0.308	10/1क	0.064
13/2	0.104	10/1ख	0.248
13/3	0.266	8/3	0.242
12/1/1क	0.132	9	0.292
12/1/1ग	0.132	8/2	0.260
22/2	0.140	15/4	0.030
20/3	0.400	59/2	0.300
21/1	0.100	59/1/2	0.010
21/2	0.360	61/1	0.180
22/1/ख	0.250	54/1क	0.200
22/1/क	0.250	54/2	0.021
22/1ग	0.150	54/1ख	0.288
132/1/1/3ख/1	0.080	54/3	0.150
132/2	0.240	54/1ग	0.200
132/1/1/1ख	0.493	52	0.136
134/1	0.250	53	0.139
134/2	0.175	44/1/1	0.040
135/1क/1	0.160	82/4	0.910
133/1/3	0.040	85/1	1.400
135/1क/2	0.140	84	0.060
135/1क/3	0.160	85/2	0.200
136/1क	0.172	83/1	0.336
136/1ख	0.060	81/2/2	0.060
136/2	0.420	81/2/4	0.288
138/1	0.272	81/256/2/2	0.050
139/1/1/1क	0.280	107/1	0.160
125	0.150	107/2	0.160
122	0.150	107/3/1	0.150
154	0.410	107/3/2	0.170
155	0.050	106/1	0.170
159/1	0.420	106/2	0.300
160	0.060	106/3	0.300
161	0.045	104	0.050
51	0.180	91/2/1	0.050
186/1	0.190	91/2/2	0.147
185/1/2	0.100	105/7	0.031

(1)	(2)		
93	0.200	128/1	0.616
92/2	0.050	133	0.050
86/1	0.160	107/1	0.550
86/2/1	0.200	105/2	0.028
86/3/1	0.160	103/2	0.215
86/3/2	0.100	106/1/1/1	0.500
86/4/1	0.575	25/1/द	0.058
योग . .	<u>18.433</u>	25/1घ/1/1	0.215
		24	0.370
		23/2	0.180
		23/1	0.123
		22/6	0.160
		175/5	0.145
		22/5	0.160
		22/4	0.080
		22/3	0.160
		22/2	0.160
		22/1	0.160
		21/1/1/1	0.096
		21/1/2/1	0.096
		21/2/1/1	0.096
		21/2/2/1	0.096
		79	0.240
		18/2	0.128
		18/1	0.128
		18/3/1	0.250
		181	0.050
		4/2	0.352
		4/3	0.528
		5	0.500
		138	0.764
		4/4	0.180
		132/1/2	0.391
		129/3	0.025
		137	0.340
		135	0.884
		134/3	0.592
		134/2	0.100
		134/1	0.100
		121/2	0.009
		121/1	0.060
		177/1	0.290
		122/2	0.040
		120/1	0.360
		80/1	0.050
		119	0.400
		159	0.020
		158/1	0.010

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—गणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.063 हेक्टर.

सर्वे नं.

अर्जित रकमा

निजी

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

129/1

0.150

130/1

0.063

(1)	(2)
80/3	0.110
160	0.020
81/1	0.120
81/2	0.220
161/1	0.020
82/3	0.190
82/2	0.140
83	0.060
82/1	0.140
78	0.210
80/2	0.105
178/1/1	0.160
178/1/2/2	0.020
178/1/2/1	0.100
176/1क	0.400
175/1/1	0.300
175/1/2	0.300
182	0.020
180/2/2	0.050
180/2/1	0.050
179	0.130
178/3/1	0.100
178/3/2	0.100
74	0.460
186/178	0.100
72	0.120
योग . .	15.063

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—धार	
(ख) तहसील—मनावर	
(ग) ग्राम—कुण्डी	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.800 हेक्टर में	
सर्वे नं.	अर्जित रकमा
निजी	(हेक्ट. में)
(1)	(2)
4/1/2	0.120
4/1/1	0.040
4/2	0.040
9/1	0.415
10/2	0.050
10/1	0.080
11	0.700
12/1	0.080
18/1	0.370
19, 20	0.475
22/2/3, 21/2/3	0.430

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओंकरेश्वर परियोजना की उप नहर की चिखलदा मायनर -2 की आर. डी. 40 मीटर से 2940 मी. तक एवं डी. व्हाय. क्र. 17 की आर. डी. 4750 मी. से 7760 मी. तक तथा खेड़ा मायनर की आर. डी. 240 मी. से 870 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोबर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 608-वाचक-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ओंकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 152270 मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 75 के बीच नहर निर्माण हेतु।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोबर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 4495-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—बंजारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.565 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
47/12	0.023
47/13	0.052
108/2	0.438
112/1/19क/2	0.043
112/1/19ग/3	0.043
112/1/10	0.050
112/1/12	0.058
112/1/13	0.153
112/1/14	0.141
112/1/15	0.025
140/1/5/1	0.008
140/1/8/1	0.007
140/1/8/2	0.008
140/2/1	0.020
140/2/2	0.020
140/3	0.021
140/8/1	0.038
140/8/2	0.038
140/1/4	0.028
140/7	0.055
141/1, 142/1	0.031
141/2, 142/2	0.058
141/3, 142/3	0.021
141/4, 142/4	0.021
143/1	0.281
144	0.268
145	0.021
146/1	0.295
146/2	0.028
149/4	0.072
149/5/1	0.072

(1)	(2)
150/1/1	0.079
150/2	0.049
योग . .	2.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 4500—भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—बालीपुरखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.301 हेक्टर में

सर्वे नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
3	0.085
90/1	0.145
91/4/1	0.100
91/3	0.093
91/1/5	0.036
91/1/6	0.090
91/1/8	0.027
104	0.204
111	0.084
112	0.282
114	0.095
122/2/1	0.060
योग . .	1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	53/3/3	0.021
	53/3/4	0.021
	63/1	0.069
	64/1	0.027
	64/3	0.019
	65/2/1	0.032
	65/2/2	0.014
	67/1	0.044
	67/2	0.063
	67/3	0.032
	68/2	0.027
	68/3	0.026
	68/5	0.053
	68/6	0.055
	68/7	0.061
	94/2/2	0.048
	95/2	0.037
	95/3/1	0.018
	95/3/2	0.021
	96	0.202
	98/3/2ख	0.020
	98/3/2क	0.070
	98/4/1	0.110
	98/4/2	0.108
	98/5/1	0.036
	126/1/2	0.120
	128/1/2	0.048
	128/1/3, 128/2	0.212
	129/179	0.010
	132	0.164
	133/1/6	0.062
	133/2	0.137
	134/3	0.193
	142	0.079
	143	0.034
	योग	3.556

क्र. 4506-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—रालामण्डल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.556 हेक्टर में

सर्वे नम्बर	अर्जित रकम (हेक्ट. में)	
(1)	(2)	
33, 34/1/3ख/9	0.073	98/4/1
34/1/1ख/2	0.056	98/4/2
34/1/1ख/3		98/5/1
34/1/2ख	0.041	126/1/2
34/1/3ख/4	0.127	128/1/2
34/1क	0.049	128/1/3, 128/2
34/2	0.082	129/179
36/2	0.067	132
36/3	0.067	133/1/6
37/1/2	0.071	133/2
44/2/1	0.165	134/3
44/3/1	0.061	142
44/3/2	0.022	143
45	0.044	
51/1	0.021	
51/2	0.022	
51/3	0.041	
51/4	0.027	
51/5	0.037	
53/1/1, 53/1/2	0.050	
53/2/1	0.049	
53/2/2	0.049	
53/3/1	0.021	
53/3/2	0.021	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब से प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 4512-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—उटावद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.991 हेक्टर में

सर्वे नम्बर	अर्जित रकम (हेक्ट. में)	(1)	(2)	(1)	(2)
1/1	0.042	302/1/2	0.164	290/1/1	0.006
1/2/1	0.035	302/2	0.018	290/1/2	0.006
2/1	0.049	304	0.045	291/1/2	0.036
2/2	0.035	305/1	0.034	294/1	0.041
3/1	0.070	305/2	0.020	295/1/1/2	0.061
3/2	0.035	305/3	0.034	295/1/2	0.012
4/1, 4/2	0.063	306/1	0.073	297/1/1	0.012
7/1	0.039	306/2	0.073	297/1/2	0.012
7/2/1	0.021	307/1/1, 307/1/2/1	0.105	297/2	0.016
7/2/2	0.021	307/1/2/2	0.065	298/1/1/2	0.011
8/1, 10/1/1	0.050	307/2/1	0.238	298/1/2ख	0.033
8/2, 10/1/2	0.042	333/1	0.181	298/2	0.015
8/3/1, 10/1/3/1	0.017	333/2	0.192	299	0.036
8/3/2, 10/1/3/2	0.017	335/1	0.008	301/1	0.097
8/3/3, 10/1/3/3	0.017	335/2	0.008	301/2/1क	0.027
8/4, 10/1/4	0.073	335/3	0.008	301/2/1ख	0.028
8/5	0.226	370/3	0.154	302/1/2	0.164
19/1	0.031	370/4	0.089	302/2	0.018
19/2	0.031	397/1	0.041	304	0.045
20/1	0.049	399	0.096	305/1	0.034
21	0.055			योग . .	3.991
28/1	0.072				
28/2	0.304				
32, 33	0.120				
35/1/1	0.073				
35/1/2	0.011				
38/2/1	0.128				
280/2/1	0.039				
281	0.080				
288/2	0.025				
288/3	0.017				
289	0.009				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत ढूब से प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 535-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 24-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड
- (ग) ग्राम —फत्यापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.770 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
-----------	---

(1)	(2)
117/1	0.250
117/2	0.480
121/2, 121/3, 121/4	0.350
128/1	0.070
121/5	0.270
122/1	0.300
122/4	0.940
122/2	0.150
105/1	0.220
104	0.380
83/3	1.360
योग . .	4.770

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 564-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.25-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड
- (ग) ग्राम —मेहगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.250 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
86/2, 88/6, 88/14	0.170
86/2	0.060
86/8	0.020
योग . .	0.250

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 557-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.26-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड
- (ग) ग्राम —बिल्वा डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.172 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/4, 23	0.194
21	0.295
13/2, 19/3	0.530
19/1	0.206
9	0.303
4/1(क)	1.214
4/1(ख)	0.230
2/4, 2/5	0.700
88/2, 90/2	0.445
88/3	0.077
90/5	0.170
88/1	0.036
89/1, 89/2, 89/3	0.028
159/9	0.372
159/3	0.186
158, 159/6	0.364
159/2	0.461
90/3, 90/4, 160, 161/2,	0.040
161/4	
90/7, 96/2, 98, 115/2	0.081
99, 101/4	0.044
100/2	0.243
101/5	0.566
101/2(क) 107/1(क)	0.356
101/2(ख) 107/1(ख)	0.247
107/4	0.048
107/5	0.182
107/3	0.182
107/2	0.372
योग . .	<u>8.172</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 549-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.27-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—उच्चावद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.457 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
-----------	--

(1) (2)

146/10, 146/6, 145/15 0.255

147/4 0.477

146/3क 0.067

144/7 0.347

142/1/2 0.161

142/1/1 0.312

95/13 0.136

95/21 0.108

98/3 0.055

98/4 0.089

95/20 0.043

98/13 0.047

95/12 0.055

98/12 0.054

95/11 0.219

95/24 0.206

95/23 0.059

95/22 0.166

93/20 0.166

93/19 0.080

93/6 0.158

93/16, 93/5 0.235

93/3 0.196

93/2 0.138

93/1 0.180

7/9 0.449

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।
7/14	0.089	
7/13	0.359	
7/6	0.155	
11/4, 9, 8/2	1.363	
8/1	1.025	
7/2	0.160	
7/10	0.443	
14/3	0.342	
14/1	0.619	
14/2	0.173	
46, 47/2, 47/3	0.011.	
155/4	0.013	
148/4, 150/2	0.254	
171/3	0.283	
170/3	0.097	
170/2	0.105	
169/2	0.306	
168	0.153	
167/2	0.152	
167/1	0.155	
165/1	0.157	
165/2	0.267	
161	0.134	
160/1	0.004	खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
159/1	0.089	
159/2, 180/8	0.065	
158/2	0.130	(1) (2)
156/4, 157/4, 157/3	0.251	91 0.360
155/7	0.055	90/5 0.080
155/6	0.057	90/2, 90/3, 90/4 0.850
155/4	0.231	90/8, 90/9, 90/10
181/1	0.218	93/2 0.100
180/12, 182/3	0.065	89/1 0.090
180/11/2, 182/2	0.048	89/5, 98/1 0.640
180/4, 180/7, 182/1,	0.054	98/2 0.110
184/12		99/2 (ग) 0.270
25/4, 26/2, 27/3	0.023	99/2 (घ) 0.680
28/4, 43/2, 44/2	0.479	99/4 0.010
43/8	0.042	108/3, 107/1 0.460
43/9	0.089	104/4 0.220
49/2	0.284	104/5 0.190
योग . .	<u>13.457</u>	107/5 0.430
		107/4 0.520

(1)	(2)
124	0.080
123/2 (ख), 125/1	0.950
123/3	0.390
125/2	0.510
126	0.600
134/2	0.170
134/1(क)	0.160
132	1.600
137	0.670
138/2	0.140
138/1	0.970
157/4, 158/3,	0.230
157/3, 158/2	0.150
157/2	0.160
157/1 (च)	0.060
157/1 (घ)	
159/3 (ख)	
159/4 (घ)	0.030
159/5 (ख)	
157/1 (ग)	
159/3 (क)	0.160
159/4 (ग)	
159/5 (क)	
160/1, 160/2, 160/3,	1.620
161/1 (ख), 162/2,	0.780
163/2 (ख)	
163/2 (क)	0.800
163/1	0.040
163/3 (क)	0.750
163/3 (ख)	0.010
163/4	1.170
122/4, 128/1, 129	1.240
योग . .	<u>18.450</u>

क्र. 547-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.29-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —बावडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.200 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
117	0.300
116	0.190
115	0.350
110	0.010
114	0.060
113	0.040
103/1	0.460
103/2	0.070
102	0.120
101/2	0.130
95	0.370
94/2/7	0.050
94/2/6	0.010
94/2/3	0.080
94/2/2	0.080
94/1	0.170
93/1	0.010
93/2	0.300
89	0.300
86	0.250
83/4	0.030
81	0.340
83/2	0.030
81/1	0.130
82	0.030
3	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु,

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

(1)	(2)	(1)	(2)
62	0.110	62/1/3, 62/2, 65/3	0.060
61	0.030	59/1	0.120
60/4	0.180	58/2	0.500
60/1	0.300	56/2	0.540
57	0.010	55	0.250
50/1/2	0.060	53/2	0.460
51/5	0.070	9/3	0.510
51/1	0.100	17/1	0.200
49/1	0.020	15/3	0.060
48/1	0.340	15/2	0.250
47	0.180	15/1	0.090
41/2	0.240	22/2	0.460
41/1	0.170	25/1	0.030
योग . .	<u>6.200</u>	25/2	0.030
		25/3	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु

नोट।—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 562-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.30-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —पिपल्या डेब
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.229 हेक्टर।

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
62/1/1, 65/1	0.240
65/2, 62/1/2	0.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु	<u>योग . .</u>	<u>9.229</u>
25/4	0.030	
25	0.010	
26/2/4	0.008	
26/2/3	0.030	
26/2/2	0.050	
26/2/1	0.220	
29/8	0.150	
3/1/2, 29/9/2	0.230	
3/1/1, 29/9/1	0.380	
3/2	0.610	
2/2	0.770	
29/7, 27/1 (ग), 91/4	0.190	
37/1 (क)	0.260	
113/4 ख	0.041	
115/1	0.520	
116	0.370	
120/1/3, 123/2/ 2ख	0.270	
125/1	0.210	
127/3	0.310	
129/3	0.060	
129/1, 130/2	0.120	
128/1	0.170	
128/2/1	0.020	

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 550-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.31-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —मण्डवाडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.675 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
481/1ख, 481/4	0.194
463/2	0.182
480/1ख	0.607
474/3, 475/2, 475/3	0.486
474/2, 475/1	0.384
465	0.243
465/1	0.154
465/2	0.142
465/3	0.073
452/1	0.210
योग . .	<u>2.675</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 565-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.32-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —तलवाडा डेब
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.100 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.150
2/4	0.540
2/2	0.150
20/1, 21/2	0.280
20/2, 21/3	0.220
19	0.350
23/1, 17/3, 24/2	0.610
13	0.440
12	0.750
10/1	0.010
42/1	1.070
50/5	0.440
50/6	0.220
53/3	0.470
50/4	0.010
53/2	0.140
52	0.190
54/1 (ख)	0.040
54/1 (ग), 59	0.560
58/2	0.260
85/1	0.040
85/2	0.160
योग . .	<u>7.100</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 537—भू-अर्जन—नहर—2010—प्र.क्र. 33—अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —उजवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.320 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/5	0.050
45/6	0.040
45/8, 45/18	0.040
45/9	0.030
46/1/1	0.460
46/2	0.260
42	0.010
28/13, 43/1, 43/2,	0.780
43/4, 44/2, 45/2	
28/2, 44/1, 32/3	0.010
36/2	0.050
36/3	0.240
32/2	0.430
31/2	0.360
31/1, 10/4 (घ), 30/4	1.460
32/1/1, 33, 34/1/1	0.020
34/2, 35/1/2	0.080
योग . .	<u>4.320</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 568—भू-अर्जन—नहर—2010—प्र.क्र. 34—अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —बजटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.437 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/1ख, 81/2	0.510
80/1 क, 81/1	0.010
82/6	0.110
82/1/1	0.080
82/2	0.170
82/3	0.180
82/4	0.170
82/5	0.150
83/1, 84/2/2	0.350
83/5, 84/2/3	0.060
83/12	0.020
83/11	0.279
83/10	0.121
83/7	0.437
83/6	0.020
74/4	0.360
73/2	0.150
73/1	0.150
72	0.330
71/2 घ	0.150
71/1 घ	0.200

(1)	(2)		
71/2क	0.190	(ख)	तहसील—अंजड
71/1क, 49/2	0.560	(ग)	ग्राम—रेलवा बुजुर्ग
71/2 ग	0.140	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—4.720 हेक्टर.
71/2 ख	0.005	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
48/8	0.040	(1)	(2)
48/6	0.160	3/2	0.170
48/4	0.140	3/3	0.173
48/3	0.080	3/6	0.081
48/2	0.080	2	0.030
48/1	0.730	6	0.440
7	0.480	7/1	0.129
6/1/10	0.270	7/2	0.161
6/1/4	0.030	8	0.130
6/1/3	0.250	10/1, 10/4	0.630
6/1/1	0.008	10/2, 10/3	
6/1/2क, 6/2/3	0.152	11/1/2	0.300
6/1/2ख, 6/2/5	0.045	12/1	0.292
6/2/1	0.150	12/2	0.578
6/2/10	0.180	13/4	0.161
6/2/2	0.170	15	0.506
3/7	0.530	16/2	0.890
11/1, 12/1	0.040	16/4	0.049
योग . .	<u>8.437</u>	योग . .	<u>4.720</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 558-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.35-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 559-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.36-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

- (ख) तहसील—राजपुर
 (ग) ग्राम —पिपरी बुजुर्ग
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.020 हेक्टर.

- (ग) ग्राम ←सांगोदा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.880 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
177/1/1 (ख),	0.330	110/2(क)	0.220
177/1/1(क)	1.050	110/2(ख)	0.170
177/1/1 (ग)	0.910	110/2(घ)	0.170
185/4	0.520	110/2(च)	0.170
185/5	0.160	110/2(ग)	0.120
185/3	1.230	110/1(ख)	0.370
185/2	0.340	110/1(क), 106/2, 107/3	0.88
185/1	0.080	108/1, 109	1.38
184/3	0.030	108/2	0.50
197/3	0.150	89	0.500
196	0.930	44/2	0.360
195	0.060	44/4	0.150
4/1	0.080	44/3	0.260
4/5	0.030	44/5	0.210
2/1	0.950	44/1	0.390
184/1	0.100	83	0.200
168/3	0.070	88	0.630
योग . .	<u>7.020</u>	81/2	0.090
		82/1	0.330
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.		81/1	0.570
		90/4/1	0.430
नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।		90/1/2	0.160
क्र. 560-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.37-अ-82-08- 09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—		41/2	0.320
		41/1	0.670
		39/1	0.520
		39/2	0.040
		98/1	0.100
		36/1	0.800
		36/3	0.280
		37	0.420
		36/5	0.330
		28	0.840
		24/2	0.300
अनुसूची		योग . .	<u>12.880</u>

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
 (ख) तहसील—अंजड़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 556—भू-अर्जन—नहर—2010—प्र.क्र. 38—अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —पीपरी डेब
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.263 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
14/1	0450
18/2	0.270
13/2, 18/1	1.240
24/9	0.170
19/3	0.160
13/6	1.290
28/2	0.303
30/4	0.110
77/2	0.120
77/3	0.070
77/4	0.060
76	0.020
योग . .	4.263

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 561—भू-अर्जन—नहर—2010—प्र.क्र.39—अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम —बंजारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.690 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
86/1, 90/3, 90/2,	0.210
86/2	
85/1	0.330
83	0.090
73/8	0.060
योग . .	0.690

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 567—भू-अर्जन—नहर—2010—प्र.क्र.40—अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़

- (ग) ग्राम —रणगांव डेब
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.100 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
90	0.050
90/4	0.010
90/2	0.200
89/2	0.110
89/1	0.110
85/1	0.100
85/2	0.060
79	0.060
86/2	0.030
33	0.300
78/2	0.100
34/2	0.220
34/1	0.200
32/2	0.180
32/3	0.290
31	0.210
27/2	0.380
27/3, 26/6(क)	0.130
27/3, 26/6 (ख)	0.030
27/5, 26/7, 26/8	0.220
21	0.020
32	0.310
37	0.420
70	0.460
41/2	0.120
41/1/2	0.120
41/1/(घ)	0.180
15/4	0.180
14/5, 14/6, 15/5	0.220
15/1	0.040
14	0.040
योग . .	5.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 553-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.41-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम —मंदिल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.580 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
11/2, 11/3, 11/4	0.320
8/2, 8/3	0.820
14	0.120
6/1	0.320
योग . .	1.580

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 541-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.42-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम—हरिबड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.817 हेक्टर.

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
173	0.126
169	0.011
167/3, 168/3	0.262
168/2, 167/7	0.171
165/2/3, 167/5, 168/4	0.292
167/6	0.029
164/9, 165/2/1, 167/4	0.326
164/8, 167/1	0.085
164/7, 165/2/2, 167/2	0.039
162/2, 164/5, 163/1	0.269
162/3	0.704
161/5, 161/7, 162/4	0.516
162/5	
161/3, 151/2	0.296
151/7	0.197
176/2, 177/2	0.194
176/1, 177/1	0.109
105/1	0.172
104/2	0.019
योग . .	<u>3.817</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—नंदगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.87 हेक्टर.

खसरा नंबर **अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)**

(1)	(2)
103	0.720
95/2, 95/3, 96, 97, 98	1.190
70/2, 70/3क, 70/3ख,	0.570
70/4क, 70/4ख, 70/6,	
70/8	
71/1, 71/2	1.630
65/1, 65/3	0.430
64/1, 64/2, 64/4	1.380
63/2, 62/1	0.590
62/2	0.240
66/2/1, 67/2	0.030
66/1, 66/2/2, 66/3	0.360
68/1	0.110
68/2	0.190
69/1, 69/2, 69/3, 69/4	0.470
64/3, 65/2	0.280
78/1	0.110
78/3	0.120
78/4	0.080
78/5	0.080
78/6	0.060
78/7	0.100
58/2	0.160
58/1	0.220
56/1, 56/2	0.450
45/1, 41/2, 44/8	0.520
40	0.330
143/2क, 143/2ख,	0.450
143/3, 143/4, 143/5,	
143/6	
योग . .	<u>10.870</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट।—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 542-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.43-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है,

क्र. 540-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.44-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—रेलवा खुद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.740 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/11	0.080
75/10	0.150
75/9	0.220
70/1	0.430
69/2	0.090
70/4	0.170
69/3	0.030
62/2	0.020
62/3	0.110
62/1	1.310
62/5	0.040
37/1	0.650
37/4	0.050
36/3	0.140
5/1/2	0.010
9	0.240
योग . .	<u>3.740</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 546-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.45-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम—सांकड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.080 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
124/5	0.570
124/3	0.070
119/1	0.400
118	0.590
117	0.350
115/6	0.010
115/7	0.030
115/1	0.010
114/2	0.090
114/1/2	0.210
107	0.400
106	0.350
योग . .	<u>3.080</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 536-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.46-अ-82-0809.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम—कोयडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—19.273 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	
90/2,90/20,90/3,90/4,			0.045	
90/19,90/5,90/6,90/7,				
90/8,90/10,90/11,90/16,				
90/17,90/18,94/5,94/6,				
94/7,90/21,90/22,90/25				
89/1		0.325		
89/2		0.317		
88/2		0.228		
88/1		0.885		
87/1, 84/2क, 87/2, 84/2ख		0.455		
86/1द, 86/1ख 86/2		0.849		
85/1,85/2,85/3,85/4		0.548		
74/2,74/3,74/4,74/5,74/6,			2.369	
74/7,74/8,74/9,74/9,74/10,				
74/11,74/12,74/13,74/14,74/15,				
74/16,74/17,74/18,74/19,74/20,				
74/21,74/22,74/23,74/24,74/25,				
74/26,74/27,74/28,74/29,74/30,				
74/31, 74/34, 74/37,74/38, 74/41,				
74/42,74/43,74/44,74/45, 74/46,				
74/47,74/48,74/49,74/50, 74/51				
75/1, 75/2		0.386		
76/1,76/2,76/3,76/4,76/5,		0.47		
76/6,76/7,76/8,76/9				
83/1,83/2/1,83/2/2		0.903		
				योग . . 19.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 539-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.47-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी	181/3	0.100
(ख) तहसील—ठीकरी	180/9	0.110
(ग) ग्राम—हरणगांव	180/10	0.100
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.460 हेक्टर.	204/4	0.220

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
117/2, 112/3, 114	0.190	208/2	0.090	205/3, 205/4	0.260
96/8	0.090	208/1	0.070	206/1	0.190
96/7	0.230	165/1	0.170	207/3	0.160
96/6	0.220	165/2	0.140		
96/1	0.130	163/2	0.120		
96/2	0.090	163/5	0.010		
96/3	0.110	163/1	0.160		
96/4	0.180	163/4	0.010		
96/5/2	0.100	160/2	0.100		
96/5/3	0.040	161/3	0.020		
96/5/4	0.050	161/1	0.060		
96/5/1	0.010	19/2	0.080		
97/1	0.040	19/1	0.130		
98/1	0.110	17/2/8	0.160		
99	0.650	17/2/1	0.070		
103	0.270	14/4	0.200		
104	0.750	14/2	0.050		
89	0.390	योग . .	8.460		
86/3	0.210				
86/4	0.080				
86/2	0.080				
86/1	0.070				
91/3	0.790				
90/8	0.030				
186/2	0.140				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट।—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 543-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.48-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—सिंवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.990 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
80/1, 88/4, 88/5, 80/2, 80/3	0.930
65/2, 65/3	0.810
64/1	0.590
63/1, 63/2	0.400
64/2, 66/2	0.740
66/1	0.470
76/2, 76/3, 76/4	0.340
73	0.330
74/1, 74/2	0.640
72/5, 74/2, 75/1	0.300
72/2, 72/3, 72/4/1	0.570
1/1	0.050
1/2	0.140
1/3, 2/1, 2/2, 1/4, 1/5,	0.680
1/6, 2/4, 2/5, 3/1क, 3/1ख,	
5, 6	
योग . .	<u>6.990</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 538-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.49-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—अंजड़
- (ग) ग्राम—सुराना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.740 हेक्टर।

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
270/7	0.340
270/5	0.240
270/6	0.570
286	0.320
286/2	0.440
366/1	0.320
366/5	0.190
366/6	0.190
366/3	0.160
366/7	1.000
375/4	0.050
375/6	0.200
375/7	0.010
375/8, 378/12	0.240
375/9, 374/2, 378/13	0.270
375/2	0.060
378/2	0.430
373	0.990
392/6	0.130
392/5	0.170
392/4	0.350
392/3, 393/2, 394/2	0.500
393/1, 394/1	0.380
363/1	0.305
363/2	0.415

(1)	(2)	(ख) तहसील—राजपुर (ग) ग्राम—सांगवी (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.510 हेक्टर.
381	0.020	
299/4/1	0.180	
299/3/1, 299/2/2	0.130	
300/2, 299/2/2/1	0.080	
300/3/1	0.010	(1) (2)
301	0.100	36 0.166
301/8, 302/1, 303/1	0.120	57 0.045
304/7	0.020	55 0.607
304/6	0.090	103/1 0.036
304/4	0.090	103/2 0.040
304/1	0.080	103/3 0.040
347/2	0.100	105/1 0.138
383/1/2	0.260	105/2 0.024
310/2 K	0.030	10/4 0.170
354/2	0.100	10/5 0.065
354/1, 353/4, 354/3	0.270	10/2 0.113
355/1, 355/4, 356/1,	0.160	10/1 0.154
355/3, 355/2		10/3 0.020
342/2, 343/4	0.100	10/10 0.194
343/2, 342/1, 341/3	0.500	10/11 0.053
378/1	0.010	8/11 0.053
390/2	0.020	8/12 0.089
योग . .	<u>10.740</u>	8/13 0.061
		9/5 0.020
		12/6 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट।—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 551-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.50-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

योग . .

4.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.: 548-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.51-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—बड़सलाय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—16.559 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला
 क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)	
275	0.010	88/5
277	1.030	88/4
282	0.820	88/3
284	0.420	87
186	0.080	86/5
184	0.020	315
183	0.650	317
182	0.340	319
122	0.990	321
123/1	0.180	320/1
119/6, 121/2/1, 118/1/1/8	0.540	320/2
117/2/2, 117/5	0.110	320
117/2, 117/4	0.040	330
118/1/2		331
115	0.470	328/3
112	0.180	328/1
113/1	0.070	320/6
51	0.130	60/2/1
		18/7/4

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.682 हेक्टर.	
		खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
320/3ग	0.030		
320/3ख	0.030		
320/3क	0.029		
320/4	0.090	(1)	(2)
334	0.190	427	0.659
336/2	0.140	396/1	0.270
336/1	0.160	397/1	0.399
345/5/1	0.100	402/3	0.211
346/2	0.100	402/2	0.352
346/3	0.110	402/1	0.055
346/4	0.090	403/2	0.141
346/5	0.070	226/8	0.224
346/6	0.010	226/3	0.268
61/1	0.140	226/2	0.407
18/7/1	0.140	226/1	0.045
18/8/2	0.070	225/8	0.166
18/8/1	0.060	225/5	0.137
18/9क, 18/9ख	0.090	225/4	0.013
		232/1	0.064
योग . .	<u>16.559</u>	232/3	0.050
		232/2	0.197
		231	0.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर के निर्माण हेतु।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 544-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.52-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—खजूरी

199/3	0.093
185	0.193
186/2	0.226
186/1	0.150
102	0.213

(1)	(2)	क्र. 555-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.53-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
102/2/1	0.207	अनुसूची
102/1/1/1, 102/1/1/3	0.222	
101	0.128	
100	0.208	
78/7	0.111	
78/1	0.332	
83/2/1	0.135	
83/2/2	0.108	
83/2/3	0.094	
61/1	0.140	
61/2	0.129	
61/3	0.143	
59/1	0.003	
58	0.227	
54	0.555	खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला
49	0.010	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
55/7	0.060	(1) (2)
233	0.398	259/1 0.422
216	0.295	259/2 0.225
161	0.025	261 0.099
199	0.134	260/3 0.011
184/2, 184/3	0.311	625/11 0.185
183/4	0.197	625/18 0.445
183/3	0.065	622/12 0.152
181	0.050	625/16 0.159
437/10	0.003	625/14 0.022
437/7 (क)	0.561	625/15 0.333
437/7 (ख)	0.173	625/8 0.019
120/4	0.502	625 0.072
26/1	0.280	101 2.110
118/1	0.045	101/1, 101/3 0.151
27	0.537	101/11 0.224
222	0.002	101/2 0.257
57/1/2	0.110	109/12/1 0.188
योग . .	<u>14.682</u>	62 0.103
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु,		109 4.152
नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।		12 0.047
		90 0.215
		97 0.041
		101 1.210
		101/11 0.001
		100 0.075
		91 0.317

(1)	(2)	(1)	(2)
109	0.124	382/6	0.254
106	0.054	383	0.004
107	0.245	382/6	0.037
205	0.975	382/2/2	0.085
104/2	0.135	382/7	0.097
104/3	0.449	381	0.540
104/1	0.360	367/3	0.003
125	0.226	380/13	0.082
125/5	0.300	380/11	0.107
125/10	0.073	380	0.060
386	0.050	363	0.027
125	0.848	380/9	0.285
105	0.171	371	0.194
125	0.146	402	0.166
122/2	0.087	352/3	0.277
123/2	0.104	347	0.548
125	0.102	341	0.319
126/1	0.025	265/1	0.001
129/2	0.080	347/2	0.369
232	0.406	265/4	0.176
196	0.198	265/2	0.003
226/2	0.127	265/3	0.105
226/1	0.404	267	0.586
21/1	0.323	262/1	0.167
206/6	0.068	262/2	0.150
206/3	0.387	262/3	0.157
206/4	0.257	270/3	0.255
207/1	0.071	259/1	0.321
208	0.145	259/2	0.216
109	0.101	270/2	0.156
133	0.392	270/1	0.148
387	0.275	271	0.642
233	1.044	281/1	0.018
628/31	0.022	240/1/1/1/1/1	0.011
628/34	0.187	272	0.312
637/8	0.049	272	0.211
628/7	0.206	246/1	0.231
628/41	0.206	245	0.311
437/8	0.377	244	0.058
625/22	0.071	253	0.059
437/8	0.026	242	0.768
437/8	0.156	240	0.733
628/15	0.121	241	0.025
437/8	0.017	239/2	0.563

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बांदरकच्छ	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.644 हेक्टर.	
234/1/2	0.053	खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला
234	0.115		क्षेत्रफल (हेक्टर में)
232/7	0.512	(1)	(2)
232/9	0.172	302	1.580
232/6	0.212	304/6	0.105
234/1, 234/3, 239/2	0.088	304/5	0.483
233/6, 37	0.366	276/2, 243/2,	1.110
233	0.071	243/3, 276/3,	
629/17	0.637	242	0.441
629/12	0.114	236	1.230
629/17	0.090	239/2	0.031
629/20	0.016	245	0.138
631/19	0.368	143	0.262
632/7	0.113	141/3, 142	0.059
323/6	0.039	249/2	0.436
232	0.248	141	0.262
232/6	0.260	252	0.109
232/7	0.184	304/7	0.039
629/7	0.498	158	0.160
योग . .	<u>35.418</u>	159/4/1/1, 153/1/2,	0.466
		159/1/3, 1591/1/2	
		159/1/4	
		159/5	0.031
		154/2, 155, 156/1/5,	0.005
		156/3	
		297/9	0.188
		188/3, 189/3	0.225
		188/2, 189/2	0.248
		187/6	0.461
		196/2	0.306
		187/11	0.125
		183	0.604
		187/1/1/1/3	0.373
		182	0.005
		201/3/4	0.128
		201/3/3	0.074
		201/3/2	0.064
		301/4	0.251
		215/4क, 215/4ख	0.178
		193	0.599
		300	0.068
		301/10	0.092
		301/9	0.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 552-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.54-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी

(1)	(2)
301/7	0.375
249/1/2, 249/3,	0.448
251/1/2 251/2/1	
192/2/2	0.013
191	0.834
योग . .	<u>12.644</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 554-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.55-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—दमदमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
112/1, 119/2	0.250
112/2	0.120
112/3	0.140
योग . .	<u>0.510</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 545-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.56-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—सनगाँव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.870 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/2	0.140
8/4	0.140
8/3	0.010
9/1, 9/2, 19/2, 9/3, 19/1, 9/4, 19/4, 9/5, 19/5, 19/3, 19/4	<u>0.460</u>
18/2	0.050
18/3	0.200
49/1	0.030
50/2	0.170
50/1	0.180
70	0.050
69	0.160
68/5	0.240
68/1, 68/4, 68/7	0.040
योग . .	<u>1.870</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 563-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.57-अ-82-08-	(1)	(2)
09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	114/7 114/2, 114/9 114/8, 114/10, 113/4 108/4, 119/1 109/2, 117/2 118/4 (क) 141/3 141/4 141/2 133/4 130/6 25/11 25/7 25/6 25/3 24/4 24/3 24/2 37/15, 31/1, 31/2 136/1, 136/2, 136/3 11 12, 14 80/2 83/1 79/1/2 71/6 योग . .	0.420 0.530 0.700 0.342 0.250 0.161 0.259 0.486 0.040 0.042 0.081 0.040 0.300 0.410 0.060 0.041 0.040 0.049 0.252 0.081 0.020 0.460 0.348 0.202 0.753 0.340 <u>11.273</u>
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—बड़वानी		133/4
(ख) तहसील—राजपुर		130/6
(ग) ग्राम—मुड़ला		25/11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.273 हेक्टर.		25/7
खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला	25/6
	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	25/3
(1)	(2)	
77/1 (ख), 77/1 (ग)	0.097	24/3
77/3	0.260	24/2
77/1 (क)	0.370	37/15, 31/1, 31/2
75/3, 76/1	0.500	136/1, 136/2, 136/3
95, 96, 97	0.570	11
98/1, 98/3	0.050	12, 14
98/2	0.510	80/2
99/1	0.080	83/1
99/3	0.081	79/1/2
130/1, 130/3, 130/4	0.567	71/6
130/5		योग . .
135/2, 135/4, 135/5,	0.076	
135/6		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु।
99/4	0.227	
99/2, 107/1	0.470	
109/1, 109/3	0.364	
114/4	0.310	
114/3	0.030	

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 566-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 58-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—दाभड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.311 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

अनुसूची	(1)	(2)	
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—बड़वानी	166/1, 166/2	0.470	
(ख) तहसील—राजपुर	167/1	0.367	
(ग) ग्राम—खड़कल	168	0.364	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.021 हेक्टर.	171/1	0.620	
	171/2	0.189	
	172/2	0.015	
	170/1	0.129	
खसरा नम्बर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)			
(1)	(2)		
88/4	0.073	173/2	0.363
88/2, 95/2,	1.020	174	0.400
88/3, 95/3			
4/2, 13/2,	0.696	175	0.046
5, 13/3,			
6/1, 26/3			
6/6, 11/3	0.030	177	0.445
8/3, 9/3	0.202	178	0.920
योग . .	<u>2.021</u>		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.			
नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.			

क्र. 575-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 60-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—बड़वानी	211	0.207
	204/1	0.140
		योग . .
		<u>9.311</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।	(1)	(2)
नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।	125	0.123
	124	0.150
	122	0.630
	121	0.355
	108	0.436
	108	0.345
	109	0.044
	107	0.749
	1	0.408
	योग . .	6.853

क्र. 580-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 62-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—कपाल्याखेडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.853 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
167	0.304
166	0.118
166/168	0.044
165/1, 165/2, 165/3	0.220
164/1, 164/2	0.289
56	0.100
133	0.190
134	0.124
135/1	0.163
134	0.053
136	0.195
148	0.158
147	0.131
144	0.440
137	0.281
139/199	0.098
129	0.220
127	0.341
126	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 573-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 64-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—रणगाँव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.073 हेक्टर।

खसरा नम्बर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
182	0.199
180/1/1	0.495
178	0.260
180/1/4	0.439
180/2	0.011
175	0.134
179	0.173

(1)	(2)	(1)	(2)
180/1/2	0.252	187	0.218
169/1/1, 169/1/2	0.276	189	0.725
169/2, 169/3		176	0.197
132	1.189	177/1	0.350
133/1, 133/2	0.220	177/2	0.045
134	0.123	178	0.349
78/2	0.075	172	0.044
17	0.145	171	0.538
18/190	0.591	169	0.231
20/1	0.542	157	0.012
20/4	0.574	161	0.273
20/3	0.083	168/2	0.108
41/192	0.817	168/1	0.235
23/1	0.544	162	0.056
51/2	0.029	166/1	0.055
51/1	0.091	165	0.256
योग . .	<u>6.073</u>	164/1	0.184
		164/2	0.184
		146/1, 146/2	0.084
		104	0.485
		105	0.225
		55/2	0.299
		54	0.333
		47/2	0.336
		47/1	0.305
		37/2	0.167
		46	0.118
		40/4	0.200
		40/3	0.176
		40/2	0.013
		38/2	0.096
		38/1	0.180
		योग . .	<u>7.277</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 576-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 65-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—जरवाह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.277 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

186/1 0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 571-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 67-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—	(1)	(2)	
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—बड़वानी	278	0.431	
(ख) तहसील—ठीकरी	279/2	0.199	
(ग) ग्राम—दवाना	279/3	0.064	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.511 हेक्टर.	279/1	0.225	
	270/1	0.775	
	267/1, 267/2	0.300	
	238/10	0.390	
	264/1/2/1	0.489	
	264/1/1	0.370	
(क) जिला—बड़वानी	264/2	0.148	
(ख) तहसील—ठीकरी	262/3	0.032	
(ग) ग्राम—दवाना	262/4	0.056	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.511 हेक्टर.	262/10	0.032	
	258/4	0.156	
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)		
376/1	0.276	254	0.356
380/2	0.763	253	0.251
403	0.218	252/3	0.366
380/1	0.011	252/2	0.405
401/1	0.202	252/1/2	0.178
402	0.466	252/1	0.179
392/1	0.460	251/2	0.339
386	1.152	251/1	0.023
387	0.222	250/1	0.010
360/2	0.286	262/5	0.010
359/1, 399/2	0.756	258/3	0.234
357/1, 357/2	0.470	257/2	0.066
335	0.437	258/2	0.101
294/2	0.010	257/3	0.172
334	0.615	257/4	0.239
331/2	0.324	245/2	0.208
331/1	0.288	245/1	0.206
307	1.211	246	0.433
313/1/1, 313/1/2,	0.886	21	0.070
313/1/3, 313/1/4		20/2	0.097
320	0.548	20/1	0.776
321/1	0.174	24	0.398
311/2	0.264	9	0.034
376/2	0.041	8	0.253
371	0.997	7	0.062
276/1, 276/2	0.090	6	1.207
277/1	0.010	4/5	0.038
277/2	0.427	4/6	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
4/4	0.055	349	0.521
4/3	0.070	348/1	0.331
4/7	0.074	348/2	0.065
4/2	0.047	347/2	0.247
4/1	0.040	335	0.273
3/2	0.329	334	0.287
274	0.444	332/1	0.393
273	0.622	330	0.03
योग . .	<u>24.511</u>	328/2	0.249
		328/1	0.69
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.		321	0.721
नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।		356	0.002
क्र. 579-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 69-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—		212	0.387
		213	0.045
		244	0.065
		210/1	0.041
		214	0.372
		215	0.234
		216/2	1.238
		227/3	0.12
		225	0.232
		223	0.701
		222	0.625
		242/1	0.402
		242/2	0.411
		243/2	0.032
		248	0.200
		250	0.215
(क)	जिला—बड़वानी	163	0.025
(ख)	तहसील—ठीकरी	162/2	0.151
(ग)	ग्राम—लखनगाँव	162/1	0.225
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—16.807 हेक्टर.	160	0.578
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हें. में)	136/3	0.091
(1)	(2)	159/1	0.050
359/1	0.354	137	1.101
360	0.117	221/2	0.159
357	0.732	219/3	0.250
359/2	0.143	221/1	0.180
359/3	0.131	181	0.010
359/4	0.175	184/3	0.223
359/5	0.164	184/2	0.296
359/6	0.051	184/1	0.167
352	1.122	185/1	0.014
		185/2	0.192
		186	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
189	0.125	184/1	0.634
190/2	0.254	185	0.279
194	0.026	186/1, 186/2, 186/3	0.226
190/1	0.014	63	0.397
192	0.330	61/5	0.343
193/2	0.074	61/4	0.026
योग .	<u>16.807</u>	योग .	<u>4.230</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 581-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 72-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—सेगवाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.230 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. मे.)

(1)	(2)	
393	0.083	101/1/1/1/2
389	0.332	101/1/1/1/4
387/1, 387/2	0.439	101/1/2/1
385	0.033	101/1/1/2/2
384	0.295	101/1/1/1/3
380	0.279	101/1/1/2
375	0.016	101/1/1/3
374	0.045	101/1/1/4
376/1	0.246	101/1/2
376/2	0.383	101/2/2
368/4	0.174	101/2/3
		101/2/4

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 577-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 74-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—अजन्दी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—17.517 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी

अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. मे.)

(1)	(2)
101/1/1/1/2	3.505
101/1/1/1/4	
101/1/2/1	
101/1/1/2/2	
101/1/1/1/3	
101/1/1/2	
101/1/1/3	
101/1/1/4	
101/1/2	
101/2/1,	
101/2/2	
101/2/3	
101/2/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
102/1	0.047	84/3	0.293
100/2	0.621	85/1, 85/2	0.391
100/1	0.208	24	0.078
99/1	0.347	29/2	0.020
98	0.083	31	0.040
105/3	0.576	30	0.040
106	0.546	28	0.040
107/2	0.363	27	0.058
96	0.113	26	0.050
109	0.026	25	0.202
95	0.270	37	0.010
111/1, 111/2,	1.847	9	0.234
111/3, 111/3K		8/3	0.065
111/3KH		8/2	0.081
123	0.384	8/1	0.069
122/1/8	0.081	6	0.407
121/9	0.025	7	0.240
121/13	0.187	112/1K	0.116
121/12	0.110	112/1/KH	0.167
121/5	0.408	16	0.309
121/6	0.066	15/3	0.138
146	0.429		
153/1	0.493	योग . .	17.517
153/2	0.117		
152/1	0.268		
152/2	0.171		
152/3	0.269		
152/4	0.156		
152/5	0.036		
152/6	0.017		
153/4	0.151		
156/1/2	0.178		
155	0.076		
154/3	0.154		
154/4	0.129		
177/1	0.138		
216	0.014		
176	0.299		
181	0.235		
180	0.265		
174	0.537		
173/2	0.353		
170	0.102		
84/1	0.069		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा बिकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 574-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 75-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—सेमलदा डेब	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.361 हेक्टर.	166	0.464
	189/2	0.280
खसरा नंम्बर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)	203/1/2/2	0.023
(1)	203/2	0.326
274	0.292	0.381
275	0.444	0.271
270/1, 270/2, 270/3	1.384	0.272
271	0.463	0.139
267/1	0.424	0.139
184	0.393	0.246
183	0.073	0.283
186	0.241	0.039
188	0.385	0.148
195	0.381	0.474
194	0.024	0.020
198/1	0.425	0.098
200	1.266	0.410
203/1/1/2	0.307	0.410
206/1	0.376	0.067
206/1/2	0.374	योग . . 17.361
190	0.352	
208	0.345	
207/1/4	0.075	
211/1/2	0.675	
224/1	0.272	
224/2	0.243	
223/1	0.143	
223/2	0.147	
222/1	0.299	
221/1ख	0.282	
221/1/2क	0.010	
148/2	0.143	
149/2	0.570	
150/2	0.169	
150/1	0.169	
152	0.241	
272	0.199	
273	0.435	
181	0.190	
170/1	0.224	
170/2	0.147	
168/1/2	0.016	
168/3	0.230	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु।

नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 570-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 77-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—हतौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.292 हेक्टर.		(1)	(2)
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)		
326/6क	0.349	214/1	0.015
326/6ख	0.162	214/2	0.388
325/7	0.172	219	0.025
250/1	0.549	218/3	0.076
250/2	0.489	217/4	0.089
251	0.177	217/3	0.094
254	0.093	218/2	0.034
249	0.502	218/1	0.17
246	0.492	योग . .	<u>17.292</u>
256	0.209		
193/1/3, 193/1/2	1.367		
194/332	0.349		
194/1, 194/2, 194/3	0.312		
67/1	0.315		
64/1	0.063		
62/5	0.064		
54	0.361		
53	0.260		
50/1, 50/2, 50/3	0.345		
49	0.122		
48/3	0.127		
48/2	0.123		
326/27 क	0.157		
329/ क	0.133		
329/6ख	0.363		
280	1.332		
281/2/1	0.523		
282	0.334		
283/2	0.373		
84/1	0.569		
84/2	0.181		
14	0.418		
17	0.197		
18	0.093		
25/5	0.176		
25/2	0.279		
25/3क, 25/3ख	0.185	582	0.300
25/326	0.026	57/1, 57/2	0.248
25/1	0.393	58/1	0.155
19/2	0.158	58/2	0.155
20	1.056	80	0.380
193/1/3	0.075	81/1, 81/2, 83/1	0.554
193/1/4	0.343	79/3	0.004
246	0.27	77/2	0.006
244	0.355	77/3	0.187
243/2	0.23	76	0.309
243/1	0.246	75/1	0.135
215/1	0.753	75/2	0.135
215/2	0.181		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु,

नोट :—भूमि के नवरो (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 578-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 83-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—ठीकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.634 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
582	0.300
57/1, 57/2	0.248
58/1	0.155
58/2	0.155
80	0.380
81/1, 81/2, 83/1	0.554
79/3	0.004
77/2	0.006
77/3	0.187
76	0.309
75/1	0.135
75/2	0.135

(1)	(2)	(1)	(2)
101	0.140	291	0.658
270	0.789	302	0.334
267/1	0.252	103/1	0.622
267/2	0.302	102	0.038
152/1	0.324	103/2	0.018
151	0.717	97	0.114
143	0.328	98/1, 98/2	0.666
142/2	0.214	98/3, 98/4	
योग . .	<u>5.634</u>	94/1, 94/2	0.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 572-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 84-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजा के लिए आवश्यक है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—कुओं
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—20.118 हेक्टर।

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)	
261	0.445	
260	0.130	
262	0.438	
263	0.451	
265	0.185	
264	0.013	
266	0.283	
267/1, 267/2	1.810	
270	0.286	
274	0.166	
273	0.569	
276	0.150	
277/2	0.055	
278	0.966	
289	0.627	
योग . .	<u>20.118</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु,

नोट :—भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 781-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) पटवारी हल्का नं.—हर्रहवा 44
- (घ) ग्राम का नाम—हर्रहवा
- (ड) लगभग क्षेत्रफल—1.03 हेक्टर.

ग्राम हर्रहवा, पटवारी हल्का हर्रहवा नं. 44 रा. नि. मं. माड़ा,
तहसील सिंगरौली (म.प्र.)

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
454/1 जु.	0.08
454/2 जु.	0.06
454/3 जु.	0.01
454/4 जु.	0.01
455/2 जु.	0.01
455/3 जु.	0.14
456/1 जु.	0.15
456/2 क जु.	0.12
456/2 ख जु.	0.04
462/1 जु.	0.16
462/2 जु.	0.06
462/3 जु.	0.07
462/4 जु.	0.06
462/5 जु.	0.06
योग रकबा .	1.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश पाईप लाईन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बैठन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 783-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भूमि-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) पटवारी हल्का नं.—हर्रहवा 44
- (घ) ग्राम का नाम—सिंगरौली
- (ड) लगभग क्षेत्रफल—10.17 हेक्टर.

सासन पावर लिमिटेड

ग्राम सिंगरौली, पटवारी हल्का-हर्रहवा नं. 44
राजस्व निरीक्षक क्षेत्र-माड़ा, तहसील सिंगरौली,
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

खसरा नम्बर	आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1022/1 क जुज	0.25
1022/1 ख जुज	0.13
1022/1 ग जुज	0.13
1022/1 घ जुज	0.10
1022/2 क जुज	0.18
1022/2 ख जुज	0.01
1025/1 जुज	0.38
1025/2 क जुज	0.05
1025/2 ग जुज	0.08
1025/2 घ जुज	0.06
1025/2 जुज	0.55
1036 जुज	0.90
1040/2	0.16
1053/1 जुज	0.01
1054/1 जुज	0.08
1054/2 जुज	0.07
1055/2 क जुज	0.18
1055/2 ख जुज	0.18
1055/2 ग जुज	0.18
1055/2 घ जुज	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
1055/2 ड जुज	0.18	1236/2 क जुज	0.08
1069/2 ख जुज	0.23	1236/2 ख जुज	0.07
1069/3 क जुज	0.10	1237/1 जुज	0.09
1069/3 ख जुज	0.08	1238 जुज	0.05
1070/1 जुज	0.43	1241/1 जुज	0.01
1070/2 जुज	0.34	1245/1 जुज	0.15
1138/1 क	0.05	1245/2 जुज	0.04
1138/2 जुज	0.05	1245/3 जुज	0.08
1139/1 जुज	0.15	1245/4	0.02
1139/2 जुज	0.15	1245/5 जुज	0.03
1140/1 क जुज	0.14	1245/6 जुज	0.01
1140/1 ख जुज	0.16	1252/1 क 1 जुज	0.01
1140/1 ग जुज	0.04	1252/1 क 2 जुज	0.01
1140/2 जुज	0.38	1252/1 क 3 जुज	0.02
1140/3 जुज	0.01	1252/1 क 4 जुज	0.01
1141 जुज	0.07	1252/1 क 5 जुज	0.01
1172/1 जुज	0.02	1252/1 क 6 जुज	0.02
1173/1 क जुज	0.04	1252/1 क 7 जुज	0.01
1173/1 ख जुज	0.05	1252/1 क 8 जुज	0.01
1173/2 क जुज	0.06	1252/1 क 9 जुज	0.02
1173/2 ख जुज	0.07	1252/1 क 10 जुज	0.03
1176/1 क जुज	0.05	1252/1 ख 1 जुज	0.05
1176/1 ख जुज	0.08	1252/1 ख 2 जुज	0.04
1176/1 ग जुज	0.09	1252/1 ग जुज	0.04
1176/2 जुज	0.16	1252/2	0.03
1183/1 जुज	0.06	1252/3	0.03
1183/2 जुज	0.05	1255 जुज	0.45
1183/3 जुज	0.05	1256 जुज	0.10
1183/4 जुज	0.05	1260 जुज	0.15
1183/5 जुज	0.05	योग . .	<u>10.17</u>
1188/1 क जुज	0.21	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये आवासीय परिसर ग्राम तियरा से मुख्य पावर प्लांट तक सड़क निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिस्थितियों का अर्जन.	
1188/1 ख	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिंगराँली (बैंडन) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	
1188/1 ग जुज	0.20	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
1229/1 क जुज	0.01		
1236/1 क जुज	0.32		
1236/1 ख जुज	0.25		
1236/1 ग जुज	0.15		